



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1239400/

मंडला , दिनांक :-27/02/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2019-20

संस्थान:- Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 65

कुल राशि (रुपये में)

:- 393065

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।


Principal / Director / Dean
गो. जगन्नाथ चौधरी गिरल कॉलेज, मंडला (म.प्र.)

Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला :- मंडला

Office of Prinicipal / Director / Dean
Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
जिला :- मंडला

[New Cases]



प्र.क्रमांक/पिछड़ावर्ग/पी.एम.एस/ 1239400

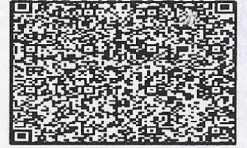
मंडला , दिनांक :-27/02/2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र., द्वितीय तल, खंड -घ, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला:-मंडला की ओर सूचनार्थ ।
3. सहायक संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक, जिला:-मंडला की ओर सूचनार्थ ।
4. महालेखाकार ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।


शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी
Principal / Director / Dean
महिला महाविद्यालय, मण्डला (म.प्र.)

Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला :- मंडला



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1238977/

मंडला , दिनांक :-27/02/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2019-20

संस्थान:- Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 78

कुल राशि (रुपये में)

:- 545284

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

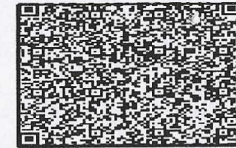
संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।

Prinicipal / Director / Dean

Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला :- मंडला

Office of Prinicipal / Director / Dean
Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
जिला :- मंडला

[Renewal Cases]



प्र.क्रमांक/पिछड़ावर्ग/पी.एम.एस/ 1238977

मंडला , दिनांक :-27/02/2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र., द्वितीय तल, खंड -घ, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला:-मंडला की ओर सूचनार्थ ।
3. सहायक संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक, जिला:-मंडला की ओर सूचनार्थ ।
4. महालेखाकार ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।

Principal / Director / Dean

Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला :- मंडला



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1239559/

मंडला , दिनांक :-28/02/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2019-20

संस्थान:- Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 1

कुल राशि (रुपये में)

:- 6743

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

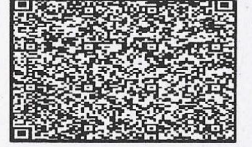
संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्राचार्य
शासकीय जगन्नाथ चौधरी
महिला महाविद्यालय, मंडला (म.प्र.)
Principal / Director / Dean

Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला :- मंडला

Office of Prinicipal / Director / Dean
Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
जिला :- मंडला

[Renewal Cases]



प्र.क्रमांक/पिछड़ावर्ग/पी.एम.एस/ 1239559

मंडला , दिनांक :-28/02/2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र., द्वितीय तल, खंड -घ, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला:-मंडला की ओर सूचनार्थ ।
3. सहायक संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक, जिला:-मंडला की ओर सूचनार्थ ।
4. महालेखाकार ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।


शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी
Principal / Director / Dean
महिला शिक्षा विभाग, मंडला (म.प्र.)

Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला :- मंडला



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1241843/

मंडला , दिनांक :-12/03/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2019-20

संस्थान:- Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 1

कुल राशि (रुपये में)

:- 6743

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

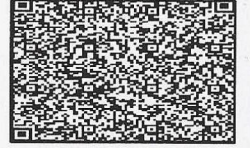
संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।

प्रचार्य
शासकीय उपाय
Principal / Director / Dean
महिला महाविद्यालय

Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला :- मंडला

Office of Prinicipal / Director / Dean
Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
जिला :- मंडला

[Renewal Cases]



प्र.क्रमांक/पिछड़ावर्ग/पी.एम.एस/ 1241843

मंडला , दिनांक :-12/03/2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र., द्वितीय तल, खंड -घ, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला:-मंडला की ओर सूचनार्थ ।
3. सहायक संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक, जिला:-मंडला की ओर सूचनार्थ ।
4. महालेखाकार ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।

प्रचार्य
श्री जगन्नाथ चौधरी
Principal / Director / Dean
महिला महाविद्यालय, मंडला (म.प्र.)

Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला :- मंडला